



Government Of India

केंद्रीय सतर्कता आयोग



Central Vigilance Commission

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023

Vigilance Awareness Week -2023

30th October to 5th November, 2023

“भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें”

“Say no to corruption; commit to the Nation”

National Institute of Sowa Rigpa (NISR)

Ministry of AYUSH

Government of India

Behind Main Post Office, Leh, Ladakh 194101



सार्वजनिक हित प्रकटीकरण & सूचना देने वाले की सुरक्षा संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

क्या है आईडीपीआई?	<ul style="list-style-type: none">• PIDPI भारत सरकार का एक संकल्प है• शिकायतकर्ता की पहचान सभी के लिए गोपनीय रखी जाती है इसके तहत शिकायतें दर्ज की गईं
----------------------	---

पिडपी कैसी है? शिकायत दायर किया गया?	<ul style="list-style-type: none">• शिकायत सचिव को संबोधित होनी चाहिए, सीवीसी और लिफाफे के ऊपर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए• लिफाफे पर शिकायतकर्ता का नाम और पता अंकित नहीं होना चाहिए लेकिन अंदर एक पत्र बंद किया हुआ
--	---

सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश की पहचान शिकायतकर्ता अवशेष गोपनीय	<ul style="list-style-type: none">• जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान का खुलासा हो सकता है।• शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए• पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए जाने चाहिए या शिकायत में उल्लेखित है। जैसे: आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज़• पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता का उल्लेख किया जाना चाहिए।• जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है उन्हें बंद कर दिया जाता है।• गुमनाम/छद्म नाम वाले पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है
---	--

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023



PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it

HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as “PIDPI”
- Name and Address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover

GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. Eg: documents received under RTI
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.
- Complaints where confirmation is not received are closed.
- Anonymous / pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023

For more details visit
<https://www.cvc.gov.in>

